कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर– 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comosc–साईटjodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :–जो.वि.प्रा / अ.अ. / दक्षिण / 18–19 / 1140 दिनांक : 26/7/18

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना सं.09 / 18–19 दक्षिण

जोधपुर विकास प्राधिकरण मे वर्ष 2018–19 व 2019–20 हेतु कम्यूटर ऑपरेटर व संविदाकर्मीयो की आपूर्ति हेतु उक्त व्यवसाय में कार्य करने वाले व्यक्तियो / फर्मो / संवेदको से जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजा मे पंजीकृत हो से निर्धारित प्रपत्र मे ई प्रोक्यूरमेंट प्रकिया से संविदाकर्मी व कम्यूटर ऑपरेटर आपूर्ति हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलॉड तथा खोली जाएगी धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत होगी जो बैंक ड्राफट / बैंकर चैक जो सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से हो, ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व निम्न विवरण अनुसार प्राधिरकण मे जमा करानी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

क्र.सं.	विवरण	आईटम संख्या	दिनांक व समय
1.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	1 to 2	27.07.2018, सुबह 12.00 बजे से
2.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	1 to 2	14.08.2018, सांय 6.00 बजे तक
3.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	1 to 2	27.07.2018, सुबह 12:00 बजे से
4.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	1 to 2	14.08.2018, सांय 6.00 बजे तक
5.	निविदा शुल्क, धरोहर राशि की मूल प्रति जोन कार्यालय मे जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	1 to 2	16.08.2018, दोपहर 1.30 बजे तक
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	1 to 2	17.08.2018, सायं 4.00 बजे तक

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपयो में)	निविदा शुल्क (रूपयो में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	जोन कार्यालय
1	जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार के कार्मिको की संविदा पर आपूर्ति बाबत्।	208.24	416480/-	2000/-	24 माह	प्रभारी अधिकारी संविदाकर्मी
2	जोधपुर विकास प्राधिकरण में कम्प्युटर ऑपरेटर आपूर्ति का कार्य	154.78	309560/-	2000/-	24 माह	प्रभारी अधिकारी कम्प्युटर ऑपरेटर

संविदाकर्मीयो के लिए निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

. संवेदक को विभिन्न प्रलेखो के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे निविदा 2 कवर प्रणाली द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। जिसमे निम्न दस्तावेज व प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(ए.) कवर अ" तकनीकी बिड (निम्नांकित दस्तावेज / डीडी अपलोड किये जाने आवश्यक है।)

1. निविदा शुल्क का डीडी / बैंकर चैक 2000 रू व धरोहर राशि संविदाकर्मी(श्रमिक) हेतु 416480 रू एवं कम्यूटर ऑपरेटर हेतु 309560 रू सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम देय हो तथा प्रोसेसिंग फीस 1000 रू MD RISL Jaipur के नाम देय हो। अपलोड की जानी आवश्यक है तथा कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।

2 निम्नांकित पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड किये जाने आवश्यक है।

.(ए). राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970

(बी). कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952

(सी). कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

(डी.). वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)

(ई). आयकर (पेन न.)

(एफ).. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण

3.Annexure A to D अपलोड करना आवश्यक है।

4. निविदादाता को किसी सरकारी विभाग / निगम / प्राधिकरण / सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था द्वारा जारी विगत 3 वर्षो मे से किसी भी 1 वर्ष मे इस प्रकार के कार्य का संतोषप्रद कार्य करने का अनुभव प्रमाणपत्र जो निविदा राशि का 50 प्रतिशत (104.12 लाख रू) या 70 कार्मिको की सेवा आपूर्ति का कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो। निविदा के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है।

5. फर्म का वार्षिक टर्नओवर पिछले 3 वित्तिय वर्षो मे से किसी एक वर्ष मे 104.12 लाख का होना आवश्यक है सत्यापन के लिये फर्म के पिछले 3 वर्षो मे से किसी एक वर्ष का वार्षिक लेखा जो सीए द्वारा अंकेक्षित हो अपलोड करना आवश्यक है।

6. शर्ते एवं निर्देश (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर के) निविदा के साथ अपलोड करने आवश्यक है।

उपरोक्त प्रमाणपत्रो को अपलोड नही करने की स्थिति मे वित्तिय बिड नही खोली जायेगी।

(बी.) कवर बी" वित्तिय बिड

1. वित्तिय बिड पूर्णरूप से भरकर प्रस्तुत की जायेगी।
2. वित्तिय बिड मे किसी भी प्रकार की कांटछांट/ओवरराईटिंग होने की दशा मे अपने लघु हस्ताक्षर कर मोहर लगाये।
3. सशर्त निविदाये स्वीकार नही होगी।
4. वित्तिय बिड मे संवेदक द्वारा सर्विस चार्जेस आवश्यक रूप से अंकित किये जाने आवश्यक है क्योकि सर्विस चार्जेस के आधार पर ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
5. वित्तिय बिड ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक है।

निविदा की अन्य शर्तेः–

1. निविदा की प्रकिया ऑनलाईन होगी।
2. ई–टेंडरिग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–
   - इन निविदाओ मे दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रो का इन्टरनेट साईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से देख/डाउनलोड कर सकते है।
   - निविदाओ मे भाग लेने वाले निविदादाताओ को इन्टरनेट सार्इट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा मे भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा मे साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओ के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नही है।
   - निविदादाताओ को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट मे उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म मे स्वीकार्य नही होगा।
   - इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रो से संबंधित सभी आवश्क दस्तावेजो की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ अटेच कर दी गयी है।
   - कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।
   - टेण्डर के प्रपत्रो मे आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे।
3. निविदा प्रपत्रो को वेबसाईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओ मे भाग लेने वाले संवेदको को निविदा के इलेक्ट्रोनिक फार्मेट मे वेबसाईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करवानी होगी।
4. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नही खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाये खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
5. प्रदत दरे निविदा खोलने की दिनांक से 70 दिवसो तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य होगी यदि निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि मे अपनी निविदा/शर्तो मे किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापिस लेता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. निविदा मे वर्णित कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
7. संवेदक को भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य करने पर एवं शाखा प्रभारियो द्वारा उपस्थिति का सत्यापन करने पर किया जायेगा।
8. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेंगा या उपभाडे पर नही देगा अन्यथा नियमानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
9. सफल सेवा प्रदाता को कार्य आदेश प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर नियमानुसार राशि के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार पत्र निष्पादित करना होगा।
10. जेडीए जोधपुर अपनी आवश्यकतानुसार संविदाकर्मी/ कम्प्यूटर ऑपरेटर घटाने एवं बढाने के लिये स्वतंत्र होगा।
11. सभी प्रकार के विवाद के लिये न्यायक्षेत्र जोधपुर होगा किसी भी विवाद की स्थिति मे सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।
12. श्रम कानून के विभिन्न प्रावधानो के अन्तर्गत रखे जाने वाले समस्त रिकॉर्ड को सुरक्षित संधारित करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
13. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संवेदक द्वारा सेवाओ के लिये वांछित पदो हेतु उपयुक्त अभ्यार्थियो की सूची योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुये प्रस्तुत करनी होगी। कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु शैक्षणिक योग्यता पीजीडीसीए/पीसीएओ लेवल/डिप्लोमा(आरएससीआईटी)व अन्य से संबंधित प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रतिलिपि प्राधिकरण मे जमा करानी होगी। कम्प्यूटर ऑपरेटर को सेवा मे लेने से पूर्व एक प्राथमिक स्क्रीनिंग टेस्ट जो प्राधिकरण की आईटी विंग द्वारा लिया जायेगा तथा टेस्ट मे सफल होने पर ही सेवाये प्राधिकरण द्वारा ली जायेगी। कम्प्यूटर ऑपरेटर बदले जाने की स्थिति मे प्राधिकरण को सूचित करना होगा तथा नवीन कार्मिको से संबंधित योग्यता प्रमाणपत्र पुनः प्रस्तुत करने होंगे तथा ऐसा कार्मिक संविक्षा टेस्ट मे सफल होने पर ही स्वीकार किया जायेगा। जिन पर प्रभारी अधिकारी/एनआईसी के प्रभारी अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा सहमति दी जायेगी।
14. संवेदक द्वारा अवयस्क व्यक्तियो एवं विधि द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्तियो को जोब कार्य पर नही लगाया जाएगा ।
15. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिको का चालचलन अच्छा होना चाहिये एवं उनके कार्य / चरित्र के संबंध मे सेवा प्रदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा तथा सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा स्वंय के खर्चे पर पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. संवेदक द्वारा एजेन्सी को आवंटित कार्य मे से कोई भी कार्य समय पर न करने पर अन्य व्यक्ति से बाजार से करवा लिया जायेगा तथा कार्य पर हुई वास्तविक राशि संवेदक के भुगतान से काट ली जायेगी।

17. आपूर्ति किये गये सभी कार्मिक निविदा दाता के पे–रोल पर होंगे तथा राज्य सरकार/ डीएचएस मे नियुक्ति का कोई अधिकार नही होगा जिसकी जानकारी निविदादाता को सभी कार्मिको को देनी होगी।

18. सर्विस चार्जेस की दरे समस्त करो सहित प्रस्तुत की जायेगी केवल वस्तु एवं सेवाकर,नियमानुसार ईएसआई, ईपीएफ का भुगतान उपापन संस्था द्वारा अलग से किया जायेगा।

19. प्रतिभूति राशि कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर जमा करानी होगी जिसमे धरोहर के रूप मे जमा 2 प्रतिशत राशि समायोजित कर ली जायेगी जो अनुबंध के समाप्ति के पश्चात संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण करने पर लौटाई जाएगी यदि संवेदक द्वारा बीच मे ही अनुबंध की शर्तो का पालन नही किया जाता है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

20. राज्य/केन्द्र सरकार के द्वारा लागू अन्य कोई कर यदि हो तो उसकी कटौती कर भुगतान किया जाएगा।

21 प्रत्येक माह संवेदक द्वारा कार्मिको के बैंक खातो मे देय पारिश्रमिक राशि जमा करवाकर सूची संलग्न करनी होगा तथा भुगतान का सत्यापन हो सके एवं इसके लिये अलग से बैंक खाता संधारित करना होगा।

22. उक्त निविदा कुशल एवं उच्च कुशल कार्मिको हेतु जारी की जा रही है।

23. सफल निविदादाता को निर्धारित समयावधि मे प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्मिक उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे तथा कार्मिक द्वारा निर्देशानुसार कार्य नही करने अथवा चालचलन अच्छा नही होने पर हटाने का अधिकार प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

24 प्रस्तावित दरो मे सेवा शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदो के भुगतान विधिक रूप से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किये जायेगे मात्र सेवाशुल्क ही संवेदक का लाभ होगा अतः सेवा शुल्क की दरो का प्रस्ताव अनिवार्य होगा इसके अभाव मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

25. आरटीपीपी एक्ट 2012/ नियम 2013 के प्रावधान उक्त निविदा पर लागू होंगे।

26. नेगोशिएन की आवश्यकता होने पर ईमेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

27. बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण प्रमाणपत्र निविदा के साथ अपलोड किये जाने होंगें तथा जो निम्नानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगे।

(ए). राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970

(बी). कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952

(सी). कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

(डी.). वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)

(ई). आयकर (पेन न.)

(एफ).. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टर्नरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण

28. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानो की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

29. न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय –समय पर जारी की गई अधिसूचनाओ के अनुसार की जायेगी।

30.. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

31 श्रम विभाग की अधिसूचा से समय– समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जाएगा।

32. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा कराना होगा जिसमे नियोजित श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा संवेदक द्वारा अपने आगामी बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. एवं ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा।

33. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे जिस पर संवेदक का नाम संविदा अवधि कार्य की प्रगति श्रमिको हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने संबंधि प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

34. राज्य मे लागू श्रम नियमो के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

35 संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर की राशि उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त रूप से देय होगी सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह मे जमा करवाये गये वस्तु एंव सेवाकर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ आवश्यक रूप से संलग्न की जायेगी। इसके अभाव में आगामी माह का बिल का भुगतान नही किया जाएगा तथा वस्तु एवं सेवाकर के संबंध मे उत्पन होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वो का निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

36. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमो, अधिसूचनओ तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा श्रम निधि के अन्तर्गत नियमो, उपनियमो, अधिसूचनाओ, दिर्शा निर्देशो की पालना नही करने की स्थिति मे उसके परिणामो/दायित्वो के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

37. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

38. नियोजित श्रमिको को 240 दिव पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम 1974 मे विहित प्रावधानो के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने, कार्य मुक्त करने ,नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

39.. कार्य निष्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में किसी भी प्रकारी की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ईएसआई करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेवारी एवं दायित्व संवेदक का होगा ।इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

40.. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्युनतम मददूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध मे श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति मे संवेदक को डिबार किया जा सकेगा।

41.. निर्धारित 8 घंटो से अधिक किये गये कार्य हेतु श्रम विभाग द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के अलावा अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा जिसके लिये अलग से आदेश सक्षम स्तर से जारी किये जायेंगें।

42. किसी भी बिन्दु पर विवाद की दशा मे जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा जो संवेदक को मान्य होगा।

43. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य हेतु संबधित शर्तो के अलावा अन्य शर्ते दोनो कार्यो हेतु समान रूप से लागू होगी।

प्रभारी अधिकारी संविदाकर्मी/कम्प्यूटर ऑपरेटर
जोधपुर विकास प्राधिरकण
जोधपुर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिरकण
जोधपुर

उपरोक्त शर्तो को मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक पढ लिया गया है एवं उक्त शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत है।

संवेदक के हस्ताक्षर
मय मोहर